न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीनः अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 15/2019

उनवान

शिवसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपुत निवासी अरथुना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: वादी

बंनाम

(1) स्व0 श्री इन्द्रसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपुत निवासी अरथुना तहसील अरथूना के वारिसानः—

1/1.मदनसिंह पिता स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

1/2. कमलाकुंवर पत्नि स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

1/3. बन्नाकुंवर पुत्री स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

1/4. राजकुंवर पत्नि स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

(2) स्व0 श्री परबतसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपुत निवासी अरथुना तहसील गढी के वारिसानः—

2/1. लालकुंवर पत्नि स्व0 श्री पर्बतसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

(3) तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः27.8.2024

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी और प्रतिवादी नम्बर 01 और 02 के शामलाती खाते की कृषि भुमि जिसका खाता संख्या 27 (नया) 22 (पुराना) का सर्वे नम्बर 526 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 527 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 528 रकबा 0.21 हे0, सर्वे नम्बर 835 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 910 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 911 रकबा 0.07 हे0 सर्वे नम्बर 917 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 996 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 1287 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1501 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 1503 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1507 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1570 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 2732 रकबा 0.05 हे0 एवं 2738/2824 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 15 रकबा 1.40 हे0 वाके ग्राम अरथुना तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 2 हिन्दु होकर हिन्दु पारिवारिक व्यवस्था से शासित है और वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 उक्त संयुक्त खातेदारी खाते में अपना हक और हिस्सा अधिकार रखते है और उक्त खाते में वादी 1/3 भाग हिस्से व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 का 1/3 और 1/3 भाग हिस्से के खातेदार कृषक है। वादी अपने खेतो में अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उक्त खेतों में आधुनिक तरीके से सुधार करना चाहता है तथा इस हेतु प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 से कई बार निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 इंकार कर आये दिन झगडा फसाद करते रहते है एवं प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 उक्त भुमि पर अवैद्य कार्य कर उक्त भुमि को हडपना चाहते है। वादी ने मिल बैठकर उक्त भुमि का आपसी बटवारा करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 एवं 02 लडाई झगडा करने पर आमादा है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 हिन्दु होकर मुस्लिम पारिवारिक व्यवस्था से शासित है एवं वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 उपरोक्त संयुक्त खातेदारी खाते में अपना हक और हिस्सा अधिकार रखते है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 अपने—अपने हिस्से पर स्वतंत्र रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। वादी अपने खेतों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उपरोक्त खेतो में भुमी में आधुनिक तरीके से सुधार करना चाहता है व [illegible] की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसिलिए कई बार तकाजा किया परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 इंकार कर झगडा फसाद कर रहे है। वादी द्वारा अर्सा करीब 08 [illegible] रखा गया व मिल बैठकर उक्त भुमि का आपस मे बटवारा करने हेतु निवेदन [illegible] नम्बर 1 व 2 द्वारा सहयोग हेतु इंकार कर दिया गया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर पटवार हल्का अरथूना के [illegible] अरथूना की खाता संख्या 27 (नई) 22(पुरानी) के सर्वे नम्बर 526 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 527 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 528 रकबा 0.21 हे0, सर्वे नम्बर 835 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 910 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 911 रकबा 0.07 हे0 सर्वे नम्बर 917 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 996 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 1287 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1501 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 1503 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1507 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1570 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 2732 रकबा 0.05 हे0 एवं 2738/2824 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 15 रकबा 1.40 हे0 भूमि का बटवारा किया जाने की डिकी पारित कराने वाद प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के फोत होने की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुऐ। प्रकरण में वादी अभिभाषक द्वारा संशोधित शिर्षक प्रस्तुत किया जाने पर पक्षकारान् के नाम सम्मन जारी किये गये जो बाद तामिल प्रस्तुत होकर प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से श्री श्री शिवलालपुरी अभिभाषक का वकालतनामा पैश हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को समय दिया जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 के अभिभाषक को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 05 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करतें हुऐ नियमानुसार निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री जारी कराने निवेदन करतें हुऐ दोनों पक्षों के अभिभाषकगण द्वारा अपने सुक्ष्म हस्ताक्षर किये गये।

पत्रावली में प्रस्तुत वाद एंव वाद के संलग्न राजस्व अभिलेख यथाः राजस्व ग्राम अरथूना की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या की खाता संख्या 27 (नई) 22 (पुरानी) का अवलोकन करने पर ज्ञात आया कि वादी एंव प्रतिवादीण की संयुक्त खातेदारी भूमि पटवार हल्का अरथूना के मौजा अरथूना की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 में दर्ज सर्वे नम्बर 526 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 527 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 528 रकबा 0.21 हे0, सर्वे नम्बर 835 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 910 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 911 रकबा 0.07 हे0 सर्वे नम्बर 917 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 996 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 1287 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1501 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 1503 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1507 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1570 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 2732 रकबा 0.05 हे0 एवं 2738/2824 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 15 रकबा 1.40 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका नियमानुसार बटवारा कराया जाने का वादी हकदार है। परन्तु उक्त प्रकरण में वादी की ओर से वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन की तामीली रिपोर्ट में ही तामीलकुनिन्दा द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के फोत होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर वादी अभिभाषक द्वारा वाद प्रस्तुत करतें समय प्रतिवादीगण के फोत होने की जानकारी नही होने का कथन किया जाकर संशोधित वाद/उनवान पेश किया गया। जिस क्रम में वादी अभिभाषक को फोत प्रतिवादीगण के वारिसान का विरासती नामान्तरकरण दर्ज कराया जाकर नवीन जमाबन्दी नकल प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी वादी अभिभाषक द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरासती नामान्तरकरण की नकल प्रस्तुत नही की जाने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रकरण में मृतक खातेदारान् की विरूद्ध किसी भी तरह का निर्णय/डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः वादी की ओर से पटवार हल्का अरथूना के मौजा अरथूना की खाता संख्या 27 (नई) 22 (पुरानी) के कुल किता 15 रकबा 1.40 हे0 भूमि के बटवारे हेतु प्रस्तुत वाद मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान के नामान्तरकरण की नकल जमाबन्दी के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से पटवार हल्का अरथूना के मौजा अरथूना की खाता संख्या 27 (नई) 22 (पुरानी) के कुल किता 15 रकबा 1.40 हे0 भूमि के बटवारे हेतु प्रस्तुत वाद मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान के नामान्तरकरण की नकल जमाबन्दी के अभाव में खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अंज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 15 / 2019

उनवान

शिवसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपुत निवासी अरथुना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) स्व0 श्री इन्द्रसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपुत निवासी अरथुना तहसील अरथूना के वारिसानः

1/1. मदनसिंह पिता स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

1/2. कमलाकुंवर पत्नि स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

1/3. बन्नाकुंवर पुत्री स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

1/4. राजकुंवर पत्नि स्व0 श्री इन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

(2) स्व0 श्री परबतसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपुत निवासी अरथुना तहसील गढी के वारिसानः—

2/1. लालकुंवर पत्नि स्व0 श्री पर्बतसिंह जाति राजपुत निवासी अरथूना।

(3) तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 27.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी की ओर से पटवार हल्का अरथूना के मौजा अरथूना की खाता संख्या 27 (नई) 22 (पुरानी) के कुल किता 15 रकबा 1.40 हे0 भूमि के बटवारे हेतु प्रस्तुत वाद मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान के नामान्तरकरण की नकल जमाबन्दी के अभाव में खारिज किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 27.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वफील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस [illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत [illegible]ामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	[illegible]	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

6.8.24 पत्रावली पेश हुई जारी अभिभाषक प्रार्थिया/ [illegible] अवसर दिया जावे पत्रावली वास्ते [illegible] कार्यवाही को [illegible] की उपस्थिति पेश होवे दिनांक 27.8.24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:25:54 IST
Reason: SelfAttested